

२७
१२

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
वादी व वादी अधिवक्ता को सूक-२ कर
उबार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित
नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा
४४, ४४, २०१ RPA इसी रीति पर अदम
पेशवी अदम क्षणरी में स्थापित किया जाता
है। पत्रावली विधि होकर नम्बर से कम
होकर दायित्व दफ्तर हो।


उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर